अनुक्रमणिका

(अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिए राजकीय सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के संबंध में जारी अधिसूचना/आदेशों की सूची)

क्र.सं.	विषय
1.	अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को राजकीय सेवाओं में आरक्षण की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016
2.	अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कार्मिको को पदोन्नति में आरक्षण।
3.	निम्न विभागो द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमो के स्नातक/स्नातकोतर/सर्टिफिकेट /डिप्लोमा आदि में जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत में से 5.5 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के आदेशों की सूची – • चिकित्सा शिक्षा विभाग, • तकनीकी शिक्षा विभाग, • उच्च शिक्षा विभाग • कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, • आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, • कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, • पशुपालन विभाग

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प. 13(20)कार्मिक/क–2/91 पार्ट जयपुर, दिनांक: 4.7.2016

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन कराये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि कृपया संलग्न अधिसूचना दिनांक 4.7.2016 को राजस्थान के असाधारण राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) एस.आर. दिनांक 4.7.2016 में प्रकाशित कराये जाने की व्यवस्था हेतु अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्राधिकृत–पत्र जारी करने की व्यवस्था करें।

(ओ.पी. गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को :–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को दिनांक 4.7.2016 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) एस.आर. में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित है। कृपया अधिसूचना से संबंधित राजपत्र की तीन प्रतियां इस विभाग को भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
3. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग।
4. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग, उदयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।
6. सहायक शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग को 9 अतिरिक्त प्रतियों के साथ।
7. विधि (संहिताकरण)/विधि पुस्तकालय/सहायक विधि प्रारूपकार (प्रारूपण)।
8. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, राजस्थान, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को 25 प्रतियों के साथ।
2. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर को 25 प्रतियों के साथ।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर/राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. संपादक, शिविरा/सचिवालय संदेश/लेखाविज्ञ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
7. पंजीयक, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को 5 प्रतियों सहित।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :–

1. प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव (प्रथम/द्वितीय), मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. उप निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
6. अद्यतन लिपिक को 5 प्रतियों के साथ।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

27/2016

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

जयपुर, दिनांक : 4.7.2016

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिये गये निम्नलिखित निर्देश सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

निर्देश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अधीन पंचम अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, कल्याण सिंह, राज्यपाल, राजस्थान निर्देश देता हूं कि राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008(2009 का अधिनियम संख्यांक 12), राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 32) एवं राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 33) एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों और जारी की गयी अधिसूचनाओं में किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 19(2)80–एल–1 दिनांक 12–02–81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में, राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।

रिक्तियों का अवधारण तथा पदों की भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :–

1. जहां भर्ती खण्ड स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा इनकी संगणना भी खण्ड स्तर पर की जानी हो, वहां ऐसी समस्त रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।
2. जहां भर्ती जिला स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी जिला स्तर पर की जानी हो, वहां अनुसूचित खण्ड के लिए रिक्तियां प्रकल्पित रूप से उस अनुपात के आधार पर अवधारित की जायेंगी, जो जिलों के अनुसूचित खण्डों की कुल जनसंख्या का जिले की कुल जनसंख्या के साथ है। इस प्रकार प्रकल्पित रूप से अवधारित रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित

जातियों के अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।

3. जहां भर्ती राज्य स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी राज्य स्तर पर की जानी हो, वहां अनुसूचित क्षेत्र के लिए रिक्तियां प्रकल्पित रूप से उस अनुपात के आधार पर अवधारित की जायेंगी, जो राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित खण्डों की कुल जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के साथ है। इस प्रकार प्रकल्पित रूप से अवधारित रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जायेंगी एवं शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।

4. यदि अनुसूचित क्षेत्र के एक जिले में उपलब्ध रिक्तियों को भरते समय 45 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति उपलब्ध नहीं हों तो सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र को एक इकाई के रूप में मानकर किसी जिले/उपखण्ड/विकास खण्ड स्तर पर कोई रिक्ति है और उस जिले/उपखण्ड/विकास खण्ड में अनुसूचित जनजाति का योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र के अन्य जिलों/विकास खण्डों में उपलब्ध अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों से ऐसी रिक्तियां भरी जायेंगी ताकि 45 प्रतिशत विशेष आरक्षण रखे जाने के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

5. राज्य स्तर अथवा जिला स्तर पर अनुसूचित खण्डों की रिक्तियों से भिन्न राज्य/जिले की शेष रिक्तियां विद्यमान नियमों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 16 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 21 प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 5 प्रतिशत अथवा समय-समय पर प्रवृत्त आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेंगी।

स्पष्टीकरण :- 'अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी हैं और जो स्वंय या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी 1970 के बाद हुआ है तो, उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं।

ये निर्देश दिनांक 16-06-2013 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

ह0/-
(कल्याण सिंह)
राज्यपाल, राजस्थान
(क्र. एफ. 13(20)कार्मिक/क-2/91/पार्ट)

(ओ.पी. गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

27/2016

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प. 13(20)कार्मिक/क–2/91 पार्ट

जयपुर, दिनांकः 4.7.2016

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन कराये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि कृपया संलग्न अधिसूचना दिनांक 4.7.2016 को राजस्थान के असाधारण राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) एस.आर. दिनांक 4.7.2016 में प्रकाशित कराये जाने की व्यवस्था हेतु अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्राधिकृत–पत्र जारी करने की व्यवस्था करें।

(ओ.पी. गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को :–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को दिनांक 4.7.2016 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) एस.आर. में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित है। कृपया अधिसूचना से संबंधित राजपत्र की तीन प्रतियां इस विभाग को भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
3. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग।
4. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग, उदयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।
6. सहायक शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग को 9 अतिरिक्त प्रतियों के साथ।
7. विधि (संहिताकरण)/विधि पुस्तकालय/सहायक विधि प्रारूपकार (प्रारूपण)।
8. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, राजस्थान, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को 25 प्रतियों के साथ।
2. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर को 25 प्रतियों के साथ।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर/राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. संपादक, शिविरा/सचिवालय संदेश/लेखाविज्ञ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
7. पंजीयक, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को 5 प्रतियों सहित।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :–

1. प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव (प्रथम/द्वितीय), मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. उप निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
6. अद्यतन लिपिक को 5 प्रतियों के साथ।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

28/2016

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

जयपुर, दिनांक : 4.7.2016

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिये गये निम्नलिखित निर्देश सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

निर्देश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अधीन पंचम अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, कल्याण सिंह राज्यपाल, राजस्थान निर्देश देता हूं कि राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 12) एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों और जारी की गयी अधिसूचनाओं एवं आदेशों व निर्देशों में किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 19(2)80–एल–1 दिनांक 12–02–81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में, राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर पदोन्नति में अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति के कार्मिकों को 5 प्रतिशत तथा अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों को 45 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

ह0 /–
(कल्याण सिंह)
राज्यपाल, राजस्थान
(क्र. एफ. 13(20)कार्मिक / क–2 / 9 / पार्ट)

(ओ.पी. गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

28/2016

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

प.7 (147)/डीएमई/एके./2016/ 4379 दिनांक 26.6.2016

आदेश

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पी.एम.टी. परीक्षा में आदेश कमांक प.6 (2) एमई/ग्रुप–1 / 94 पार्ट–1 दिनांक 31.8.1998 एवं केबिनेट आज्ञा 04.05.1999 के अनुसरण में सम्पूर्ण राज्य में जनजाति वर्ग के लिये अनुसूचित जनजाति को देय कुल आरक्षण 12 प्रतिशत मे से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित रखे जाने का प्रावधान किया गया है, इसी के अनुरुप निम्नांकित पाठ्यकमों एवं प्रवेश परीक्षाओं में सम्पूर्ण राज्य में जनजाति वर्ग के लिये अनुसूचित जनजाति को देय कुल आरक्षण 12 प्रतिशत मे से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित किया जाने का प्रावधान एतद् द्वारा किया जाता है:–

1. मेडीकल एवं डेन्टल स्नातकोत्तर कोर्सेज (एम.डी./एम.एस/ डिप्लोमा एवं एम.डी.एस.)
2. समस्त नर्सिंग कोर्सेज (स्नातक /स्नातकोत्तर/डिप्लोमा)।
3. समस्त पैरा मेडिकल कोर्सेज (स्नातक /स्नातकोत्तर/डिप्लोमा)।
4. ~~समस्त फार्मेसी कोर्सेज (स्नातक /स्नातकोत्तर/डिप्लोमा)।~~
5. समस्त फिजीयोथेरेपी कोर्सेज (स्नातक /स्नातकोत्तर/डिप्लोमा)।

इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश कमांक एफ–5(58) चि.स्वा./ग्रुप–3/2000 दिनांक 19.2.2001 के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में स्थित ए.एन.एम./जी.एन.एम. के संस्थानों में अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिये लागू की गई व्यवस्था को यथावत रखा जावें।

विशिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राज. सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री राज. सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज. सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग ।
6. निदेशक (जन स्वास्थ्य), निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर ।
7. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग ।
8. अति0 निदेशक (प्रशा0) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा।
9. अति0 निदेशक (एम0ई0) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा।
10. रजिस्ट्रार, राज0स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/जोधुपर/कोटा /अजमेर/ बीकानेर/ उदयपुर/झालावाड़/आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ मेडिकल सांईन्सेज/ आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ डेन्टल सांईन्सेज
12. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग,/उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी विश्वविद्यालय........................

डॉ. एस.सी. सोनी
अति. निदेशक (चि.शि.)

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक F1(6)त०शि/99 जयपुर, दिनांक 2-5-16

आदेश

विषयः- 'अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियो को राज्य में स्थित समस्त अभियान्त्रिकी महाविद्यालय / पॉलोटेक्निक / एम.सी.ए. / प्रबन्धकीय आदि शैक्षणिक सस्थानो में संचालित समस्त सर्टिफिकेट स्नातक एवं स्नाकोतर में आरक्षण दिये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा पी.एम.टी. परीक्षा एवं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों यथा- बी.एड. / एम. एड. / बी.पी.एड / शिक्षाशास्त्री / एस.टी.सी. आदि में लागू आरक्षण व्यवस्था की तर्ज पर समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थानो के जिन भी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू हैं। उन सभी में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान निम्न प्रकार होंगे -

"राज्य में स्थित समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थानो यथा-इंजीनियरिंग / पॉलोटेक्निक / प्रबंधकीय / एम.सी.ए. आदि में संचालित सर्टिफिकेट, स्नातक एवं स्नाकोतर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत आरक्षण मे से 45 प्रतिशत (अर्थात् 5.5 प्रतिशत) आरक्षण भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.19(2)80-एल-1 दिनांक 12.02.81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेगें"। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत के अध्याधीन ही देय होगा तथा प्रवेश स्थान रिक्त रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियो से भरा जा सकेगा।

यह आदेश विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेश दिनांक 15.09.2011 के अतिक्रमण में जारी किया गया है तथा इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(6)त.शि./99 दिनांक 19.06.2013 से राजकीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, बांसवाडा के संबंध में जारी आदेश यथावत लागू रहेगें।

स्पष्टीकरण- "अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो, उनके माता-पिता / पूर्वज 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहें है, का स्पष्टीकरण शामिल करावें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है तथा उक्त व्यवस्था आदेश जारी होने की दिनांक से लागू होगी।

आज्ञा से

(राजहंस उपाध्याय)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
8. आयुक्त, टी.ए.डी. उदयपुर।
9. जिला कलक्टर, बांसवाडा / डूंगरपुर / प्रतापगढ / उदयपुर / सिरोही।
10. समन्वयक, रीप–2016 (कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा)
11. समन्वयक, आरमेट–2016 (निदेशक, सीईजी, जयपुर)
12. समन्वयक, आर्एमकेट–2016 (निदेशक, सीईजी, जयपुर)
13. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर।
14. रजिस्ट्रार, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, त.शि.

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांकः प. 10 (6) शिक्षा–4/2007 जयपुर, दिनांकः 04/07/2016

आदेश

विषयः–अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के निवासियों को राज्य में स्थित समस्त कॉलेज शिक्षा संस्थाओं (महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय) में संचालित समस्त व्यावसायिक एवं अन्य प्रबन्धकीय पाठ्यक्रमों आदि में संरक्षण दिये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा पी.एम.टी. परीक्षा एवं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों यथा–बी.एड./एम. एड./बीपी.एड./शिक्षाशास्त्री/एस.टी.सी. आदि में लागू आरक्षण व्यवस्था की तर्ज पर समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों के जिन भी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण लागू है, उन सभी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के निवासियों के लिए आरक्षित रखे जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान निम्न प्रकार होंगेः–

" **राज्य में स्थित समस्त उच्च शिक्षा विभाग संबंधी प्रवेश परीक्षाओं एवं समस्त उच्च शिक्षा संबंधी संस्थाओं (महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय) में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों यथा–एम.सी.ए., बी.सी.ए., एम.बी.ए. बी.बी.ए. एवं अन्य प्रबन्धकीय पाठ्यक्रम होटल मेनेजमेंट, बायो टेक्नोलोजी की स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातक डिग्री स्नातक डिप्लोमा तथा अन्य सभी सर्टिफिकेट कोर्सेज में अनुसूचित जनजाति वर्ग लिए निर्धारित 12 प्रतिशत आरक्षण में से 45 प्रतिशत (अर्थात 5.5 प्रतिशत) आरक्षण भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 19 (2) 80–एल–1 दिनांक 12.02.81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति निवासियों के लिए आरक्षित रखे जायगें**"। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत के अध्यधीन ही देय होगा तथा प्रवेश स्थान रिक्त रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों से भरे जायेगें।

उक्त प्रावधान के तहत केवल अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के निवासी ही पात्र होंगे तथा "अनुसूचित क्षेत्र के निवासी" से तात्पर्य गृह विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों एवं विहित प्रक्रिया की अनुपालना में जारी प्रमाण–पत्र धारक से है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है तथा उक्त व्यवस्था आदेश जारी होने की दिनांक से लागू होगी।

आज्ञा से

(राजहंस उपाध्याय)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा

D:/genral letter/Gehlot

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त टीएडी, उदयपुर।
8. जिला कलेक्टर, बांसवाडा / डूंगरपुर / प्रतापगढ / उदयपुर / सिरोही।
9. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
11. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
12. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
13. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
14. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
15. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
16. कुलसचिव, राजऋर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
17. कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
18. कुलसचिव, महाराजा सूरज मल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
19. कुलसिचव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
20. कुलसचिव, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा।
21. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

राजस्थान सरकार

कौशल, नियोजन एंव उद्यमिता विभाग

क्रमांक : प.( ) त.शि./कौनिउ/2016 दिनांक :04/07/16.

F1(6) त.शि./1999.

— :: आदेश :: —

विषय :– सत्र 2016–17 से अनुसुचित जनजाति योजना क्षेत्र के स्थानीय जनजाति युवाओं को राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के विभिन्न पाठ्यक्रमो में प्रवेश हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 % आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्थानीय अभ्यर्थियो के लिए 45 % आरक्षण को सम्पूर्ण राज्य में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः–प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के यू.ओ. नोट कमांक:PS/PSTAD/16/537 दिनांक 22.06.2016

संदर्भित यू.ओ. नोट के कम में निर्णय लिया गया है कि राज्य की समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में शिल्पकार प्रशिक्षण योजन (क्राफ्टसमैन ट्रैनिंग स्कीम) के विभिन्न पाठ्यक्रमो (नियमित एंव स्ववित्तपोषित योजना) में प्रवेश हेतु निर्धारित 12 % आरक्षण में से 45 % आरक्षण को सत्र 2016–17 से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओ के लिए आरक्षित किया जाना है। उक्त निर्णय के अनुसार आरक्षण के प्रावधान इस प्रकार रहेगें।

1. राज्य की समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमो में प्रवेश हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 % आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्थानीय अभ्यर्थियो के लिए 45 % स्थान आरक्षित रहेगा। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के 12 % आरक्षण के अध्याधीन ही देय होगा। सीटे खाली रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियो से भरी जा सकेगी । इसके पश्चात् भी स्थान रिक्त रहने पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियो से योग्यता क्रम अनुसार प्रवेश लिये जावेंगे।
2. यह आदेश सहरिया जाति के युवाओं के लिये खोली गई औ.प्र.संस्थान शॉहबाद जिला बांरा एंव देवनारायण योजनान्तर्गत खोली गयी औ.प्र.संस्थान बानसूर जिला अलवर, सैपउ जिला धौलपुर, झालरापाटन जिला झालावाड, नादौती एंव सपोटरा जिला करौली एंव खण्डार जिला सवाई माधोपुर पर एंव अल्पसंख्यक के हितार्थ औ.प्र.संस्थान टौंक में मैकेनिक ट्रैक्टर एंव औ.प्र.संस्थान जैसलमेर में मेकेनिक मोटर व्हीकल व्यवसाय पर लागू नहीं होंगे।

3. इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र में औ.प्र.संस्थानो में मांग – 30 के तहत केवल अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के लिये संचालित किये जा रहे व्यवसायो में पूर्व अनुसार आरक्षण यथावत रहेगा। अनुसूचित क्षेत्र के औ.प्र.संस्थानो में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित व्यवसाय/एकक में अनुसूचित जनजाति हेतु निरधारित 12 % आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्थानीय अभ्यर्थियो के लिए 45 % स्थान आरक्षित रहेगा।
4. उक्त आदेश केवल अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के निवासी ही पात्र होंगे। तथा अनुसूचित क्षेत्र के निवासी से तात्पर्य गृह विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय – समय पर जारी आदेशों / निर्देशो एंव विहित प्रक्रिया की अनुपालना में जारी प्रमाण पत्र धारक होंगे।

सत्र 2016–17 से राज्य की समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में उपरोक्तानुसार आरक्षण के प्रावधानो के अनुरूप ही प्रवेश कार्य करवाना सुनिश्चित किया जावें।

संयुक्त सचिव,
तकनीकी शिक्षा

क्रमांक : प.( ) त.शि./कौनिउ/2016
दिनांक : 04/07/2016

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, कौशल नियोजन एंव उद्यमिता मंत्रालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, कौशल नियोजन एंव उद्यमिता विभाग, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर ।
7. जिला कलैक्टर बांसवाडा/डुंगरपुर/प्रतापगढ/उदयपुर/सिरोही।
8. निदेशक प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
9. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त सचिव,
तकनीकी शिक्षा

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक :– प.25(7)आयु./2015 जयपुर, दिनांक

:– आदेश –:

इस विभाग के समसंख्यक पत्र क्रमांक प. 25(26)आयु./2003 दिनांक 22.10.2005 द्वारा राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी महाविद्यालय में सीटों के आरक्षण के क्रम में राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29.06.2005 का अनुमोदन किया गया था।

उक्त अधिसूचना की अनुपालना में राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा स्नातक एवं नर्स–कम्पाउण्डर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अनुसूचित जनजाति वर्ग को देय 12 प्रतिशत आरक्षण में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित किये गये थे परन्तु स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में उक्त प्रावधान लागू नहीं किया गया था।

अतः उक्त अधिसूचना दिनांक 29.06.2005 के क्रम में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा संचालित स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में उक्त प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू करने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान किये जाते है।

(सेवा राम स्वामी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि--निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं–

1. विशिष्ठ सहायक माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग
3. शासन सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
4. आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
5. जिला कलक्टर बांसवाडा/डूंगरपुर/प्रतापगढ/उदयपुर/सिरोही
6. कुल सचिव राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
7. निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर/निदेशक यूनानी एवं होम्योपैथी विभाग, जयपुर
8. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर।
9. रक्षित पत्रावली

(ओम प्रकाश वर्मा)
सहायक शासन सचिव

Sandeep.Pacharia desktop file

राजस्थान सरकार
कृषि एवं उद्यानिकी विभाग

क्रमांक एफ 3 (35) कृषि / ग्रुप- 3 / 20 6

जयपुर दिनांक : 4/7/2016

-: आदेश :-

विषय:- कृषि शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग लिए सीटें आरक्षित करने बाबत।

राजस्थान राज्य में वर्तमान में कृषि शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु संचालित संस्थाओं में शिक्षण प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति वर्ग को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति वर्ग को 12 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 21 प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाने का प्रावधान है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग अपने आदेश क्रमांक प. 6(2)एमई / ग्रुप–1 / 94 पार्ट–1 दिनांक 31.8.98 एवं मंत्रिमण्डल आज्ञा दिनांक 4..1999 द्वारा पी.एम.टी. में अनुसूचित जनजाति को देय कुल आरक्षण 12 प्रतिशत में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने का प्रावधान किया है। इसी तरह शिक्षा विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प. 10(6)शिक्षा–1 / 2007 दिनांक 19.2.2010 द्वारा राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में एम.एड, बी.एड., शिक्षा शास्त्री एवं एस.टी.सी. के लिए स्वीकृत सीटों पर जनजाति के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिए 45 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के विकास तथा इस वर्ग के आशार्थियों को कृषि शिक्षा तथा कृषि आधारित व्यवसाय के क्षेत्र में शिक्षित / प्रशिक्षित कर आगे लाने के उद्देश्य लिए राज्य सरकार द्वारा उक्त विभागों के अनुरूप यह नीतिगत निर्णय लिया गया है कि कृषि शिक्षा संबंधी प्रवेश परीक्षाओं एवं राज्य में संचालित समस्त कृषि, उद्यानिकी एवं वानिकी, मत्स्य पालन, फूड टेक्नोलोजी, डेयरी, गृह विज्ञान, कृषि अभियान्त्रिकी आदि संस्थाओं में स्नातक डिग्री, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, विद्या वाचस्पति, कृषि प्रबन्ध एवं सर्टीफिकेट आदि पाठ्यक्रमों में राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग को देय 12 प्रतिशत आरक्षण में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग लिए आरक्षित रहेंगे। इस वर्ग की सीटें खाली रहने की स्थिति में अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरी जा सकेगी।

उक्त प्रावधान केवल अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु ही लागू होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से तात्पर्य गृह विभाग द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों / निर्देशों एवं विहित प्रक्रिया की अनुपालना में जारी प्रमाण पत्र धारक से है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(नील कमल दरबारी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1– निजी सचिव, सचिव, राज्यपाल राजस्थान, जयपुर।
2– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री राजस्थान।
3– विशिष्ठ सहायक, कृषि मंत्री राजस्थान।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान।
5– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कृषि विभाग।
6– निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
7– निजी सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
8– निजी सचिव समस्त कुलपति / कुल सचिव, कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान
9– समन्वयक एवं अधिष्ठाता, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
10–रक्षित पत्रावली

4/7/2016

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक : पं.6(15)पपा/2016

जयपुर, दिनांक 14 JUL 2016

आदेश

विषयः– अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य मे स्थित समस्त प्रशिक्षण संस्थाओं में सेवा पूर्व पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी शिक्षा एवं प्रशिक्षण संबंधी संस्थाओं में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों यथा स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातक डिग्री, पशुधन सहायक डिप्लोमा एवं बी.एफ.एस.सी. डिग्री प्रवेश पूर्व परीक्षण में आरक्षण दिये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा पी.एम.टी. परीक्षा एवं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों यथा– बी.एड./एम.एड./बी.पी.एड/शिक्षाशास्त्री/एस.टी.सी. आदि में लागू आरक्षण व्यवस्था की तर्ज पर समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थानो के जिन भी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू हैं, उन सभी में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान निम्न प्रकार होगे –

"राज्य में स्थित समस्त सेवा पूर्व पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी शिक्षा एवं प्रशिक्षण संबंधी संस्थाओं में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों यथा स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातक डिग्री, पशुधन सहायक डिप्लोमा एवं बी.एफ.एस.सी. डिग्री प्रवेश पूर्व परीक्षण में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत आरक्षण मे से 45 प्रतिशत (अर्थात् 5.5 प्रतिशत) आरक्षण भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.19(2)80–एल–1 दिनांक 12.02.81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेगें"। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत के अध्याधीन ही देय होगा तथा प्रवेश स्थान रिक्त रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियो से भरा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण– **"अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो, उनके माता–पिता/पूर्वज 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहें है।**

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है तथा विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेश/निर्देश के अतिक्रमण में जारी किया गया है। उक्त व्यवस्था आदेश जारी होने की दिनांक से लागू होगी।

आज्ञा से

(कुंजीलाल मीणा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, कृषि एवं पशुपालन विभाग, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर।
7. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
8. आयुक्त, मत्स्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।
10. निजी सचिव, कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर।
11. जिला कलक्टर, बांसवाडा/ डूंगरपुर/प्रतापगढ़/उदयपुर एवं सिरोजही।
12. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

शासन उप सचिव